इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] भोपाल, बुधवार, दिनांक 1 जनवरी 2025—पौष 11, शक 1946

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जनवरी 2025

सूचना

क्रमांक FCS/12/0001/2025-SEC/29-2, यतः मध्यप्रदेश कृषि गोदाम नियम, 1961 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश एग्रीकल्चर वेयर हाउस एक्ट, 1947 (क्रमांक 1 सन 1948) की धारा 24 की उप- धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति अथवा सुझाव पर, जो कि संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर या उसके पूर्व, आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, विंध्याचल भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,-

1. नियम 4 में, उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"(4) अनुज्ञप्ति का नवीकरण 31 दिसंबर, 2025 तक की कालावधि के लिए होगा। इस अवधि के लिए नवीकरण शुल्क रु. 0.50 (पचास पैसे) प्रति मीट्रिक टन होगा।"।

2. नियम 5 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"5. अनुज्ञप्ति की कालावधि और प्रारूप अनुज्ञप्ति.- प्ररूप-दो में होगी और इसकी विधिमान्यता 31 दिसंबर, 2025 तक होगी।"।

3. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"6. अनुज्ञप्ति फीस - किसी भंडारी को 31 दिसंबर, 2025 तक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए रु. 0.50 (पचास पैसे), प्रति मीट्रिक टन प्रभार उद्गृहीत किया जाएगा और अनुज्ञप्ति का नवीकरण रु. 0.50 (पचास पैसे), प्रति मीट्रिक टन की नवीकरण फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् किया जाएगा।

4. प्ररूप-दो में,-

शर्त क्रमांक 2 के स्थान पर निम्नलिखित शर्त स्थापित की जाए, अर्थात्:-

"2. अनुज्ञप्ति 31 दिसंबर, 2025 तक विधिमान्य होगी।"।

(2) शीर्षक "निबंधन तथा शर्तें" में, शर्त क्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित शर्त क्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

"3. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता 31 दिसंबर, 2025 तक अथवा राज्य शासन द्वारा इस संबंध में विनिश्चित, आने वाली अवधि के लिए होगी।"।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 01 जनवरी 2025

क्रमांक FCS/12/0001/2025-SEC/29-2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3) के अनुसरण में, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 01 जनवरी 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 1st January, 2025

NOTICE

No. FCS/12/0001/2025-SEC/29-2, The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Rules, 1961, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 24 of the Madhya Pradesh Agricultural Warehouse Act, 1947 (No. 1 of 1948) is hereby published as required by sub-section (1) of section 24 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendment shall be taken into consideration on the expiry of fifteen days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received at the Commissioner, Food, Civil Supplies and Consumer Protection Directorate, Vindhyachal Bhawan, Bhopal from any person in respect of the said draft of amendment on or before the expiry of the period specified above, shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 4, for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) The renewal of the licence shall be for a period up to 31st December, 2025. The renewal fee shall be Rs. 0.50 (fifty paise) per metric tonne for this period.".

2. For rule 5, the following rule shall be substituted, namely:-

"5. **Period and format of licence.** -The licence shall be in Form-II and its validity shall be upto 31st December, 2025.".

3. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-

"6. Licence fee.- For issuing licence to a warehouseman upto 31st December, 2025, a charge of Rs. 0.50 (fifty paise) per metric tonne shall be levied and renewal of licence shall be done after receipt of application along with renewal fee of Rs. 0.50 (fifty paise) per metric tonne.".

4. In FORM-II,-

(1) for condition number 2, the following condition number shall be substituted, namely:-

"2. The licence shall be valid upto 31st December, 2025.".

(2) In the heading Terms and Conditions' after condition number 2, the following condition number shall be added, namely:-

"3. The validity of the licence shall be till 31st December, 2025 or for the upcoming period decided by the State Government in this regard.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2025.